A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई–5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक / 75 / पीए / नग्रानि / 2012 भोपाल दिनांक 14/9/2012

प्रति,

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय,
भोपाल–सीहोर ।

विषयः—माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा भोपाल के झीलो / जलाशयों के संरक्षण हेतु दिये गये निर्देश ।

संदर्भः—(1) माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा भोजताल (बड़ा तालाब) के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक दिनांक 7.9.2012

(2) मुख्य सचिव द्वारा उक्त विषयान्तर्गत ली गई बैठक दिनांक 6.8.2912

——

माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं मुख्य सचिव द्वारा उपरोक्त विषयान्तर्गत ली गई संदर्भित बैठकों के कार्यवाही विवरण की प्रति पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशानुसार बिन्दुवार निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

(A) माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा ली गई बैठक दिनांक 7.9.2012

बिन्दु कमांक (1)

भोजताल के संरक्षण एवं विकास हेतु गठित साधिकार समिति द्वारा तैयार किया जा रहा भोजताल को मास्टर प्लान के लागू होने तक अल्पकालीन कार्य योजना बनाया जाना है । यह कार्य योजना इस प्रकार बनाई जावे कि भोपाल शहर के निवेश क्षेत्र में स्थित जलग्रहण क्षेत्रों के ग्रामों में प्रचलित विकास योजना अनुसार विकास अनुज्ञा जारी की जावे । जलसंग्रहण क्षेत्रों के जो ग्राम निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित है, उन्हें अधिसूचित गैर निवेश क्षेत्र घोषित करने हेतु अविलम्ब प्रस्ताव शासन को भेजा जावे, और इस पर लागू किये जाने वाले डेवलपमेंट रेग्यूलेशन अविलंब प्रस्तावित किए जावे । जब तक यह क्षेत्र अधिसूचित गैर निवेश क्षेत्र घोषित होकर डेवलपमेंट रेग्यूलेशन शासन द्वारा लागू नही किया जावे तब तक के लिये इस क्षेत्र में विकास अनुज्ञा हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को विकास अभिमत प्रदान न किया जावे ।

2

<u>बिन्दु क्रमांक (11)</u>

कार्यवाही उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1) के अनुसार ।

<u>बिन्दु क्रमांक (12)</u>

भोपाल नगर के मास्टर प्लान व भोपाल केपीटल रीजनल प्लान की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। इन दोनों प्लान को बनाते समय यह ध्यान रखा जावे कि भूमि का उपयोग इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि तालाब में आने वाले पानी में बाधा न हो ।

(B) <u>मुख्य सचिव द्वारा ली गई बैठक दिनांक 6.8.2012</u>

बिन्दु क्रमांक (1)

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक A–(1) के अनुसार ।

बिन्दु क्रमांक (2)

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक A–(1) के अनुसार ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / 32 / पीए / नग्रानि / 2012 भोपाल, दिनांक 14/9/2012

प्रतिलिपिः–

1/ प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग को सूचनार्थ ।

2/ संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश (रीजनल प्लान सेल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश, भोपाल

3

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

क्रमांक / यां.प्र. / 7 / बड़ा तालाब / 2012 / 3534 भोपाल, दिनांक 16/8/12

कार्यवाही विवरण

मुख्यसचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में भोजताल (बड़े तालाब) के विकास के संबंध में दिनांक 6 अगस्त 2012 को मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 315 में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुए :–

1. श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर नगर पालिक निगम भोपाल, भोपाल
2. श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल
3. श्री एस.पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल
4. श्री प्रवीण गर्ग, आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
5. श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
6. श्री अशोक शाह, सचिव, खेल और युवक कल्याण विभाग, भोपाल
7. श्री विजय यादव, पुलिस महानिरीक्षक भोपाल क्षेत्र, भोपाल
8. श्री संजय कुमार शुक्ल, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल
9. श्री राघवेन्द्र सिंह, प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम भोपाल, भोपाल
10. श्री निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भोपाल
11. श्री कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर, जिला सीहोर
12. श्री बी.पी.एस. परिहार, संचालक, वन विहार नेशनल पार्क भोपाल
13. श्री रजनीश श्रीवास्तव, आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल, भोपाल
14. श्री अशोक खरे, मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल
15. श्री अरुण कुमार, संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन मध्यप्रदेश, भोपाल
16. श्री एस.एस. राव, सेप्ट यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद

बैठक में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

- भोजताल के संरक्षण एवं विकास से संबंधित विभाग समन्वय में कार्य करें एवं इस हेतु संस्थागत ढांचा (Institutional Framework) बनाया जाये। भोजताल के संरक्षण हेतु लेक मैनेजमेंट एवं नियंत्रण सिद्धांत तैयार किये जायें। भोजताल के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के संबंध में डेव्हलपमेंट रेग्यूलेशन तय होने तक इन सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य किये जायें।
  (कार्यवाही – आवास एवं पर्यावरण विभाग)
- भोजताल के मास्टर प्लान बनने तक अल्पकालिक (Immediate Action Plan) एवं दीर्घकालिक प्लान तैयार किये जायें। अल्पकालिक कार्यो के अंतर्गत जैविक खेती की संभावनाओं को परखना, कोलांस नदी से गाद हटाने के कार्य का क्रियान्वयन तथा जागरुकता (IEC) कार्यक्रमों को आयोजित किया जाये।
  (कार्यवाही – समस्त संबंधित विभाग)
- भोजताल के कैचमेंट क्षेत्र के अध्ययन में विगत 40–50 वर्षो के वर्षा से संबंधित आंकडों का विश्लेषण अनिवार्य रुप से शामिल किया जाये। भोजताल के मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यो के क्रियान्वयन संबंधित पहलू भी शामिल किये जायें।
  (कार्यवाही – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)
- भोपाल निवेश क्षेत्र के बाहर भोजताल कैचमेंट क्षेत्र में IWMP (Integrated Watershed Management Programme) के अंतर्गत कार्य किया जाये जिससे तत्काल परिणाम प्राप्त किये जा सके एवं विभिन्न कार्यो हेतु वित्त पोषण प्राप्त किया जा सके।
  (कार्यवाही – कलेक्टर भोपाल एवं सीहोर)

(संजय कुमार शुक्ल)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

4

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 10–49/2012/18–2 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2012

प्रति,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
2. निज सहायक, महापौर, नगर पालिक निगम, भोपाल।
3. निज सहायक, अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भोपाल।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
8. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
9. आयुक्त, सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
10. सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, भोपाल।
11. सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
12. श्री विजय यादव, पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल क्षेत्र भोपाल।
13. श्री आलोक दास, मुख्य प्रबंधक, मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल
14. कलेक्टर, जिला–भोपाल।
15. कलेक्टर, जिला–सीहोर।
16. डॉ. डी.एन.शर्मा, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
17. श्री बी.पी.एस.परिहार, संचालक, वन विहार, नेशनल पार्क, भोपाल।
18. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल।
19. कृषि उत्पादन आयुक्त, भोपाल।
20. डॉ. अतुल श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक, राजधानी परियोजना भोपाल।
21. मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
22. डॉ. विनिता विपट, सहायक संचालक, एफको, भोपाल।
23. श्री अभिजीत साबू, अर्बन प्लानर, सेप्ट यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद (गुजरात)।

Tech. 13/2

विषय– मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल झीलों/जलाशयों के संरक्षण हेतु दिए गए निर्देश के संबंध में।

---0---

भोज ताल (बड़े तालाब) के विकास के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सपन्न बैठक, दिनांक 07 सितम्बर 2012 का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(ओ.पी.सोनी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 10–49/2012/18–2 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2012

प्रतिलिपि :–निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

5

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / यां.प्र. / 7 / 2012 / भोपाल, दिनांक:

कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में भोजताल (बड़े तालाब) के विकास के संबंध में दिनांक 7 सितम्बर 2012 को मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 506 में बैठक सम्पन्न हुई। संलग्न सूची अनुसार अधिकारी उपस्थित हुए। विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. भोजताल के मास्टर प्लान बनने तक अल्पकालिक कार्ययोजना (Immediate Action Plan) बनायी जाये।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित विभाग)

2. भोजताल के फुल टैंक स्तर का यथाशीघ्र चिन्हाकन किया जाये। तालाब के फुल टैंक स्तर से 50 मीटर की दूरी पर (सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र) मुनारे लगवाई जाये और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण अनुमति को प्रतिबंधित किया जाये। इस हेतु व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बजट में पृथक से की जाकर कलेक्टर भोपाल एवं सीहोर को उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं कलेक्टर भोपाल एवं सीहोर)

3. भोजताल से होने वाली जलापूर्ति को आवासीय एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक सीमित किया जाये तथा थोक (Bulk) उपभोक्ताओं को नर्मदा पेयजल योजना से जल प्रदाय किया जाये।

(कार्यवाही–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

4. भोजताल के आसपास नवीन व्यू पॉईंट विकसित किये जायें एवं इस हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तैयार की गई योजना (राशि रू. 12.51 करोड़) का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाये।

(कार्यवाही–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

5. कोलांस नदी एवं उलझावन क्षेत्र से बहने वाले प्राकृतिक नालों का सीमांकन किया जाये एवं गाद हटाने का कार्य अतिशीघ्र किया जाये। यह कार्य आगामी मानसून से पूर्व पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही–कलेक्टर भोपाल एवं सीहोर)

6. भोजताल के कैचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत (विशेषकर कोलांस तथा उलझावन नदी के दोनो ओर 500 मीटर तक) आने वाले कृषि क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाये। इस हेतु किसानों से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये की इस हेतु व्यवहारिक योजना तैयार की जाये जिससे कृषकों को जीवनयापन में कोई परेशानी न हो। यह भी ध्यान में रखा जाये कि जैविक खेती के कारण कृषि उत्पादन पर असर न हो एवं यदि आवश्यक हो तो जैविक कृषि हेतु सब्सिडी प्रदान की जाये।

(कार्यवाही–किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग)

6

7. कैचमेंट क्षेत्र में वाटर शेड के प्रबंधन हेतु आईडब्ल्यूएमपी (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना तैयार की जाये तथा केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की जाये।

(कार्यवाही–किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं कलेक्टर भोपाल तथा सीहोर)

8. भोपाल के अन्य तालाबों का भी पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाये। सभी तालाबों का सीमांकन कर भविष्य में तालाब क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाये।

(कार्यवाही–नगर निगम भोपाल)

9. छोटे तालाब में हो रहे प्रदूषण को तत्काल रुप से रोकने हेतु तालाब में मिलने वाले सीवेज आदि को यथाशीघ्र रोका जाये एवं इसे भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाये।

(कार्यवाही – नगर निगम भोपाल)

10. भोजताल में मलजल की निकासी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाये एवं इस हेतु नगर निगम द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–नगर निगम भोपाल)

11. भोपाल नगर के प्लानिंग क्षेत्र के बाहर कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण की गतिविधियों के नियमन हेतु इसे नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अन्तर्गत नॉन प्लानिंग क्षेत्र घोषित किया जाकर नियमावली तैयार की जाये। नियमावली तैयार करते समय कैचमेंट में निवासरत व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाये।

(कार्यवाही–आवास एवं पर्यावरण विभाग)

12. भोपाल नगर के मास्टर प्लान तथा रीजनल प्लान बनाते समय ध्यान रखा जाये कि भूमि का उपयोग इस तरह निर्धारित किया जाये कि तालाब में आने वाले पानी में किसी प्रकार की बाधा न हो।

(कार्यवाही–आवास एवं पर्यावरण विभाग)

13. भोपाल नगर में स्थित सभी तालाबों के सौन्दर्यीकरण हेतु पृथक–पृथक योजनाएं तैयार की जाये। नगर के बाहर कोलार, हलाली तालाब के आसपास पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जाये। भोजताल के संरक्षण हेतु बनाये जा रहे मास्टर प्लान के अन्तर्गत तालाब में जमी गाद की स्थिति स्पष्ट हो रही है। इस विषय में तथ्यात्मक जानकारी द्वारा सभी को अवगत कराया जाये जिससे आम नागरिकों में जागरूकता लाई जा सके।

(कार्यवाही–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

14. भोजताल तथा छोटे तालाब को केन्द्र में रखकर भोपाल नगर में वार्षिक लेकस् फेस्टिवल के आयोजन पर विचार किया जाये।

(कार्यवाही–खेल और युवक कल्याण विभाग)

15. उपरोक्त समस्त कार्यवाही पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाये जिसमें सभी विभागों को शामिल किया जाये। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों के तालाबों के संरक्षण हेतु संबंधित नगरों में झील संरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया जाये। भोपाल से संबंधित नगर निगम सीमा के तालाबों के संरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मार्ग दर्शन प्रदान किया

(7)

जायेगा। भोपाल नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी तालाबों के विषय में निर्णय का अधिकार भोजताल के मास्टर प्लान हेतु गठित समिति को होगा।

(कार्यवाही– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

16. झीलों की संरक्षण की कार्ययोजना पर विचार/स्वीकृति हेतु मुख्यसचिव की अध्यक्षता में परिचालन समिति का गठन किया जाये, जिसमें सभी विभागों को सम्मिलित किया जाये।

(कार्यवाही–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(एस.पी.एस. परिहार)
प्रमुख सचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल